फरीदाबाद

मजदूर समाचार

राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

कहत कबीर

लोग जितने अधिक राजनीतिक होते जाते हैं उतनी ही ज्यादा अपनी दुर्गत बढाते हैं।

नई सीरीज नम्बर 183 सितम्बर 2003

जरूरी है मजदूरी-प्रथा पर ही सवाल उठाना जरूरी है नई समाज रचना वास्ते विचार-व्यवहार

आठ महीने

आयु 19-20 वर्ष है। गाँव में थोड़ी खेतीबाड़ी है। दसवीं करने के बाद दिसम्बर 02 में दोस्त के साथ दिल्ली आया। बदरपुर बॉर्डर पर **महाराजा प्रिन्ट्स** में 1400 रुपये महीना तनखा पर लगा। बारह घण्टे की एक ही शिफ्ट थी, सुबह 8 से रात 8 बजे तक। चार घण्टे के ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। चार महीने बाद छोड़ कर बड़े भाई के पास मुजेसर पहुँचा। सैक्टर-24 में **खेमका गत्ता फैक्ट्री** में ठेकेदार के जरिये लगवा दिया। महीने के तीसों दिन 8 घण्टे काम के बदले 1800 रुपये तनखा। फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। पैसे सही नहीं देते, काट-छाँट का 2200 रुपये महीना। गर्मी से 5-6 दिन दस्त लगे — नौकरी छोड़ दी। सैक्टर-6 में **अल्फा टोयो** में ठेकेदार के जरिये लगा। रविवार की छुट्टी और महीने की तनखा 1400 रुपये। दो शिफ्ट 12-12 घण्टे की, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। फैक्ट्री में आपस में झगड़ा हुआ और फैक्ट्री के बाहर पिटाई। एक महीने काम किया, नौकरी छोड़ दी। प्लॉट 46 सैक्टर-6 में **कास्टमास्टर** में ठेकेदार के छोटे ठेकेदार के तहत भर्ती हुआ। आठ घण्टे तीसों दिन पर महीने के 1800 रुपये। एक शिफ्ट 12 घण्टे की — सुबह 8 से रात 8 बजे तक और ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। फैक्ट्री में 4 भट्टियाँ हैं, एक भट्टी पर काम किया। अल्युमिनियम के कबाड़े को छानना, राख निकालना, भट्टी में डालना, गलाना, पिघले हुये को बाहर निकालना और सिल्ली की तरह के साँचे में ढालना। फिर सिल्ली को गोदाम में पहुँचाना। कार्य के दौरान पिघले अल्युमिनियम से मेरी पँसली जल गई। यामाहा कम्पनी के आर्डर कम होने से फैक्ट्री में काम कम हो गया और 13 जुलाई को मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। जून के दिनों के पैसे चक्कर कटवाने के बाद 27 जुलाई को दिये। जुलाई के 12 दिन के पैसे आज 14 अगस्त तक नहीं दिये हैं और चक्कर कटवा रहे हैं।

पन्द्रह साल

आई.टी.आई. करने के बाद मैं फरीदाबाद आया। यहाँ **एस्कोर्ट्स फस्ट प्लान्ट** में मैंने अप्रेन्टिसशिप पूरी की। एक साथी ने भिवाड़ी, राजस्थान में मुझे **हाइटेक गियर लिमिटेड** में लगवा दिया। वहाँ मैनेजमेन्ट का इतना कहर था कि वर्णन नहीं कर सकता। आधे घण्टे का भोजन अवकाश होता था और कैन्टीन में थालियाँ कम थी। खाने के लिये मारामारी होती थी और एक भोजन कर लेता तब उसकी थाली धो कर खाने की नौबत थी। जल्दी ही वह नौकरी छोड़ कर मैं फरीदाबाद लौट आया। मैंने **एस्कोर्ट्स** के विभिन्न प्लान्टों में कैजुअल वरकर लग कर काम किया। तब मैं छोकरा था और सोचता था कि बहुत पैसा कमा रहा हूँ। परिचितों ने समझाया कि कैजुअल के तौर पर कब तक रहोगे, पक्की नौकरी के लिये कोशिश करो। ऐसे में फिर ब्रेक किये जाने पर मैं नोएडा चला गया और 1992 में वहाँ **यामाहा फैक्ट्री** में लग गया। यामाहा सूरजपुर में तब 600 परमानेन्ट और 600 ही ठेकेदार के जरिये रखे वरकर थे। ठेकेदार के समय ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं थे और ब्रेक नहीं होता था। चार साल इस तरह मुझे फैक्ट्री में लगातार काम करते हो गये तब कम्पनी ने ठेकेदार हटा दिया और स्वयं हमें भर्ती कर ई.एस.आई. व पी.एफ. लागू की। हमें परमानेन्ट करने का लालच दे कर कम्पनी ने हम से जम कर काम करवाया। वैल्डिंग शॉप में 150 से ज्यादा, मशीन शॉप में 135, बॉडी असेम्बली में 100-150, इन्जन असेम्बली में 70-80, प्रेस शॉप में 20-25, ... कैजुअल वरकर काम करते थे। हर बार यूनियन चुनाव के समय नेता कहते थे कि अबकी बार कैजुअलों को परमानेन्ट करवायेंगे। चुनाव के समय नेता हमें गले-छाती लगाते थे और फिर भूल जाते थे। छह सौ कैजुअलों में से 300 को तो यामाहा सूरजपुर फैक्ट्री में लगातार काम करते इस प्रकार 8—10 साल हो गये। यामाहा द्वारा एस्कोर्ट्स की राजदूत मोटरसाइकिल में हिस्सेदारी के बाद लगाई वी.आर.एस. के तहत मजदूरों ने नौकरी नहीं छोड़ी तब कइयों को फरीदाबाद से सूरजपुर ट्रान्सफर किया उसके बाद भी सूरजपुर फैक्ट्री में 600 कैजुअल वरकर रहे। मण्डी में यामाहा मोटरसाइकिल की माँग बढने पर कम्पनी ने सी-शिफ्ट चलाई और परमानेन्ट मजदूरों द्वारा सी-शिफ्ट में काम करने से मना करने पर मैनेजमेन्ट ने कैजुअल वरकरों के जरिये सी-शिफ्ट चलाई। परमानेन्ट होने के चक्कर में मैंने दस साल छुट्टी बहुत-ही कम की, भाई-बहन-माँ-बाप सब को भूल गया, काम में अपने शरीर को घिसा डाला। खूब निचोड़ा गया हमें। लेकिन मण्डी में दिक्कत आते ही कम्पनी ने 300 कैजुअल वरकरों को निकाल दिया। यामाहा मोटरसाइकिल की बिक्री गिरते जाने पर कम्पनी ने फैक्ट्री में एक शिफ्ट कर दी। और फिर, 8-10 साल से लगातार फैक्ट्री में काम कर रहे हम 300 कैजुअलों को महीने में 12-12 दिन काम देना शुरू किया। हम यूनियन नेताओं से मिले और उन्हें कहा कि परमानेन्ट करवाना तो आप से नहीं हुआ, हमारी महीने की तनखा ही बन्धवा दीजिये। इस पर नेता बोले कि तुम लोग दूसरी जगह नौकरी ढूँढ लो। कम्पनी ने महीने की तनखा एक हजार रुपये कर हमें नौकरी छोड़ने को मजबूर कर दिया। परिवार के भरण-पोषण के लिये मैं फरीदाबाद में एक फैक्ट्री में ठेके पर लग गया लेकिन काम कम होने पर महीना-पूरा होने से पहले ही मुझे हटा दिया। जुलाई में हटा दिये जाने पर रेल लाइन पर कट मरने के विचार मुझे झकझोर रहे थे लेकिन पत्नी और बिटिया का ख्याल कर मैंने स्वयं को आत्महत्या करने से रोका।■

एस.पी.एल. महिला मजदूर : "सैक्टर-6 में कम्पनी ने हमें संजय और गोपाल नाम के ठेकेदारों के जरिये रखा है। हमें 1400-1500 रुपये महीना तनखा देते हैं। ई.एस.आई. और प्रोविडेन्ट फण्ड नहीं हैं। जुलाई की तनखा हमें आज 23 अगस्त तक नहीं दी है।"

खतों-पत्रों से

* यह दौर कैसा है कि तरक्की के नाम पर
इन्सान बेचें अमन, खरीदें तबाहियाँ।
—आरिफ़, नागपुर

* मुरझाये गुमसुम से चेहरे
भीतर के जज्बात न पूछो।
— योगेन्द्र, पटियाला

* पिछले 2000 वर्षों से "ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या" के भ्रामक प्रचार के कारण हम अपने नकारात्मक पूर्वाग्रहों को स्वाभाविक एवं प्राकृतिक जीवन शैली मान कर निराशा, कुंठा, पूंजीवादी अत्याचार के कारण "क्रियात्मक- पुरुषार्थ" की जगह "प्रतिक्रियात्मक- सुरक्षात्मक- पुरुषार्थ" को स्वाभाविक जीवन मान कर जीने के आदी हो गये हैं। विचारों के दूषित होने के परिणामस्वरूप हमारे आचार- व्यवहार परावलम्बी हो चुके हैं।.... दूसरों को सहारा देना, उनकी मदद करना भूल कर, हर किसी से सहारा एवं मदद चाहते हैं। —प्रमोद कुमार, ऋषिकेश

* व्यवस्था की महामारी का प्रभाव पशु-पक्षियों को भी नहीं बक्श रहा, अपनी इन्सानी जिन्दगी का क्या कहें। बाजारू जिन्दगी चल ही रही है.... चन्द दिन ही काम करने के बाद मुझे रिटायर कर दिया गया। मेरा गुनाह यह था कि मैंने महीने की तनखा माँग ली। जग जाहिर है कि टैम्पो या ट्रक ड्राइवरों को तनखा नहीं दी जाती, न ही कोई ई.एस.आई. कार्ड, न कोई पी.एफ. और ड्युटी का कोई टाइम नहीं। अभी मैं जिस ट्रान्सपोर्ट में लूटा गया हूँ वो पी.आर. रोडलाइन्स के नाम से जानी जाती है।.... — अजय, दिल्ली

* औद्योगिक शहर लुधियाना के दशमेश नगर में बैरी प्रोडक्ट्स स्थित है। यह फैक्ट्री मकान न. 823, गली नं. 5, गिल रोड़ पर है और बैरी प्रोडक्ट्स का बोर्ड बाहर टाँगने के बजाय अन्दर छिपा कर रखा है। लोहे के पार्ट्स बनाने वाली यह पुरानी फैक्ट्री है। प्रत्येक दिन सुबह 8 से रात 9 बजे तक 20-25 मजदूर मशीनों के साथ मशीन बन कर काम करते हैं। वेतन 1200 से 2000 के बीच है। फैक्ट्री में 15-15 साल पुराने वरकर हैं फिर भी किसी का नाम पक्के रजिस्टर पर दर्ज नहीं है। प्रत्येक महीने वेतन से 20-35 रुपये ई.एस.आई. शुल्क काट लिया जाता है लेकिन किसी को भी ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिया है। सोमवार या शनिवार को ड्युटी नहीं करने पर रविवार की छुट्टी काट ली जाती है। इधर कोई ना कोई बहाना बना कर पुराने वरकरों को निकाल रहे हैं। फैक्ट्री के अन्दर किसी प्रकार का कोई छोटा- बड़ा एक्सीडेन्ट हो जाने पर बिना इलाज कराये फैक्ट्री से भगा दिया जाता है। छोटी- छोटी बातों पर गाली दे देना, थप्पड़ मार देना, घर से आई चिट्ठी नहीं देना और फाड़ कर फेंक देना साहबों की एक आदत- सी बन गई है।
— ए.के. सिंह, लुधियाना

कानून हैं शोषण के लिये
और छूट है कानून से परे शोषण की

8 घण्टे ड्युटी, सप्ताह में एक छुट्टी पर हैल्पर की महीने की कम से कम तनखा 2197 रुपये 84 पैसे (जून का डी.ए. 2 सितम्बर तक नहीं आया था)

* प्लॉट 228 सैक्टर- 24 स्थित **डी.पी. आटो** फैक्ट्री में हैल्परों को 1200- 1500 रुपये महीना तनखा। एक मजदूर के 21 जुलाई को अँगूठे पर चोट लगी, नाखुन निकल गया— उसे नौकरी से निकाल दिया। * प्लॉट 46 सैक्टर- 25 स्थित **विक्टोरा टूल्स** में नये मजदूर को 1800 रुपये महीना। ई.एस.आई. कार्ड और प्रोविडेन्ट फण्ड तो बरसों से काम कर रहों को नहीं। * मुजेसर स्थित **श्री मैटल** में हैल्परों को 1500 रुपये महीना तनखा। * प्लॉट 56 बी/1 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित **ब्ल्यू प्रेसिंग** में हैल्पर को 1800 रुपये महीना तनखा। ई.एस.आई. कार्ड नहीं, पी.एफ. नहीं। पन्द्रह अगस्त को रात ड्युटी थी।

एक हजार से कम मजदूर हों वहाँ 7 तारीख से पहले तनखा देना

* प्लॉट 68 एन.एच. 1 एफ स्थित **नौनिहाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग** में अप्रेल- मई की तनखायें 16 अगस्त तक पूरी नहीं दी थी और जून व जुलाई की देनी भी शुरू नहीं की थी। * 12/3 मथुरा रोड़ स्थित **क्लच आटो** में स्टाफ को जून की तनखा 10 अगस्त को दी। मजदूरों को जुलाई का वेतन 22 अगस्त को देना शुरू किया और 25 अगस्त तक आधे मजदूरों को भी नहीं दिया। * प्लॉट 89 सैक्टर- 24 स्थित **आर.आर. इन्डस्ट्रीज** में जुलाई की तनखा मजदूरों को 23 अगस्त तक नहीं। स्टाफ की मई, जून और जुलाई की बकाया। * प्लॉट 7 बी एन.एच. 1 स्थित **चाँद इन्डस्ट्रीज** में जुलाई की तनखा 26 अगस्त तक नहीं। पाँच वर्ष का वार्षिक बोनस नहीं। हैल्परों को 1800 रुपये महीना तनखा— ई.एस.आई. कार्ड नहीं, पी.एफ. नहीं। * 20/4 मथुरा रोड़ स्थित **नैपको बेवल गियर** में जुलाई का वेतन 23 अगस्त तक नहीं। * प्लॉट 13 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित **ब्रॉन लैबोरेट्रीज** में जुलाई की तनखा 18 अगस्त तक नहीं। * प्लॉट 98 सैक्टर- 25 स्थित **आर.ओ.सी.** में जुलाई का वेतन 22 अगस्त तक नहीं। हैल्परों को 1500 रुपये महीना तनखा। * प्लॉट 54 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित **आर.आर. आटोमोटिव** में जून की तनखा 16 अगस्त तक पूरी नहीं दी, जुलाई का वेतन देना ही शुरू नहीं किया। * मथुरा रोड़ स्थित **फर आटो** में 13 महीनों की तनखायें नहीं दी हैं। दो साल का प्रोविडेन्ट फण्ड जमा नहीं किया। * सैक्टर- 15 स्थित **बोनी रबड़** के प्लान्ट में जुलाई का वेतन 13 अगस्त तक नहीं। * प्लॉट 41 ई इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित **उत्तम गैस** में जून और जुलाई की तनखायें 18 अगस्त तक नहीं। ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। * सैक्टर- 6 स्थित **एस्कोर्ट्स आटो कम्पोनेन्ट्स** में जुलाई का वेतन 21 अगस्त तक नहीं। मई की तनखा 20 जून को दी थी, जून की तनखा 21 जुलाई को। कैजुअल वरकरों को 2 साल का वार्षिक बोनस नहीं दिया है।

हफ्ते में 48 घण्टे अधिकतम ड्युटी और 3 महीने में 50 घण्टे से ज्यादा ओवर टाइम नहीं, ओवर टाइम पेमेन्ट डबल रेट से

* प्लॉट 63 सैक्टर- 6 स्थित **मितासो** फैक्ट्री में रोज 12 से 16 घण्टे काम। ओवर टाइम डेढ की दर से। जुलाई का वेतन 13 अगस्त तक नहीं। * सैक्टर- 12 स्थित **टाउन पार्क** में सेक्युरिटी गार्डों की 12- 12 घण्टे की दो शिफ्ट। प्रतिदिन 12 घण्टे की ड्युटी पर महीने के 1800 रुपये। * प्लॉट 21 सैक्टर- 24 स्थित **बीकाना** फैक्ट्री में 12- 12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। भोजन के लिये भी समय नहीं, मशीन पर खड़े- खड़े भोजन। बारह घण्टे काम के 50- 60 रुपये। ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। * प्लॉट 35 सैक्टर- 6 स्थित **कल्पना फोरजिंग** में 12- 12 घण्टे की दो शिफ्ट, ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से। हैल्परों को 1400- 1500 रुपये महीना तनखा, साप्ताहिक छुट्टी नहीं। * प्लॉट 120- 121 सैक्टर- 24 स्थित **ओरफिक डाइंग** में 12- 12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। हैल्परों को 12 घण्टे के 70 रुपये और ऑपरेटरों को 100 रुपये। ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। ठेकेदारों के जरिये 500 रखे हैं। कम्पनी द्वारा स्वयं रखे और स्टाफ कहे जाते 350 में अधिकतर मजदूर हैं। * प्लॉट 4 सैक्टर- 6 स्थित **श्याम टैक्स इन्टरनेशनल** में 12- 12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। * प्लॉट 49 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित **ओसवाल इलेक्ट्रीकल्स** में ड्युटी 12 घण्टे की और ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से, वह भी बेसिक का ही। •

अनुभव-विचार

(पेज तीन का शेष)

फैक्ट्री से कैजुअल वरकर निकालने के बाद कम्पनी ने दो ठेकेदारों के जरिये 350 मजदूर रखे हैं जिन्हें 1600- 1800 रुपये महीना तनखा है — ई.एस.आई. कार्ड नहीं, पी.एफ. नहीं। जब चाहें तब सिंगल रेट से ओवर टाइम के लिये रोक लेते हैं। कुछ मजदूरों को तो 11 अगस्त को 500- 500 रुपये दे कर जुलाई की तनखा आज 20 अगस्त तक नहीं दी है। कम्पनी ने 100 परमानेन्ट मजदूरों में से 11 को 28.8.02 से निलम्बित कर रखा है और जुलाई का निलम्बन भत्ता भी आज 20 अगस्त तक नहीं दिया है। फैक्ट्री में कैन्टीन नहीं है— दूसरी व तीसरी शिफ्ट में तो बाहर से भी एक कप चाय तक नहीं।"

अनुभव-विचार

सारांश इंजिनियरिंग मजदूर : "प्लॉट 321 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 28 जुलाई को कम्पनी ने 20 परमानेन्ट मजदूरों की ले-ऑफ लगाई जबकि 15 कैजुअलों से काम करवाती रही। फिर 16 दिन बाद ले-ऑफ लगाना बन्द कर दिया और ड्युटी पर भी नहीं लिया। जुलाई का वेतन कम्पनी ने 16 अगस्त को दिया परन्तु जिन्हें बाहर कर रखा है उन्हें आज 23 अगस्त तक नहीं दिया है और इस्तीफे लिखने को कहा जा रहा है। बचे हुये 20 परमानेन्ट का 19 अगस्त से ले-ऑफ लगाना शुरू कर दिया है। कैजुअल हैल्परों को कम्पनी 1400-1500 रुपये और कैजुअल कारीगरों को 2135 रुपये महीना तनखा देती है — ई.एस.आई नहीं, पी.एफ. नहीं। यूनियन है।"

केलसन आटोमोटिव वरकर : "प्लॉट 136 डी. एल.एफ. इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में यामाहा मोटरसाइकिल के गियर बनते हैं। यामाहा का उत्पादन कम होने पर कम्पनी ने हमारा ले-ऑफ लगा दिया और 45 दिन बाद हम में से 7 को नौकरी से निकाल दिया। इस समय कम्पनी को उत्पादन की जरूरत नहीं है और यूनियन ने 13 अगस्त से हड़ताल करवा दी है। ले-ऑफ की हमें आधी तनखा देनी पड़ती थी, अब वैसे ही फैक्ट्री गेट पर बैठते हैं।"

सेन्चुरी मजदूर : "सैक्टर-25 वाली फैक्ट्री के वरकर कम्पनी ने मथुरा रोड़ प्लान्ट में शिफ्ट कर दिये हैं। पाँच महीनों की तनखायें हमें नहीं दी हैं। फैक्ट्री में हम 8 घण्टे बैठ कर आते हैं— पैसे नहीं हैं चलाने के लिये। साहब कह रहे हैं कि कम्पनी चलायेंगे।"

नगर निगम वरकर : "पाँचवे वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार ने 1996 से लागू की लेकिन हमारे वेतन में परिवर्तन सन् 2000 से किये। अड़तालीस महीनों के बकाया में से 9 महीनों का ही हमें दिया है और 39 महीनों का सरकार ने नहीं दिया है।"

ए.जी.आई. स्विचगियर मजदूर : "प्लॉट 129 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की तनखायें बकाया हो गई तो मैंने नौकरी छोड़ दी। आज 18 अगस्त तक मुझे 4 महीनों की तनखायें नहीं दी हैं और कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं। मजदूरों की सन् 2001 के 3 महीनों की तनखायें भी नहीं दी हैं।"

हिन्दुस्तान सिरिंज वरकर : "प्लॉट 179 सैक्टर-25 स्थित फैक्ट्री में 1200-1500 मजदूर काम करते हैं। फैक्ट्री में कैन्टीन नहीं है जबकि 300 मजदूर जहाँ हों वहाँ कैन्टीन होनी ही चाहिये का कानून है। फैक्ट्री में तीन शिफ्ट हैं और हर शिफ्ट को साढे आठ घण्टे की बना कर कम्पनी ने 24 घण्टे के दिन को ही साढे पच्चीस घण्टे का बना दिया है! ड्युटी के दौरान मजदूर एक कप चाय तक नहीं पी सकते।

"प्लॉट 44 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित हिन्दुस्तान सिरिंज प्लान्ट में सन् 2002 से कम्पनी डी.ए. नहीं देती और कहती है कि महँगाई भत्ता खत्म कर दिया है। डी. ए. माँगने पर मैनेजमेन्ट ट्रान्सफर करने और नौकरी से निकालने की धमकियाँ देती है।"

डाक कर्मचारी : "फरीदाबाद मुख्य डाक घर में 42 पोस्टमैन थे जो 21 बीट में दिन में दो बार डाक बाँटते थे — एक डाकिया पत्र और दूसरा रजिस्ट्री व मनी आर्डर बाँटता था। विभाग ने 1998 में 32 बीट कर दी और एक बीट में एक पोस्टमैन ही रखा। अब विभाग ने 26 बीट कर 26 डाकिये ही रखे हैं और प्रत्येक का क्षेत्र बढा दिया है। कोई रिलिवर तक नहीं रखा गया है — किसी पोस्टमैन द्वारा छुट्टी लेने पर दूसरे को अपनी के संग उसके क्षेत्र की डाक भी बाँटनी पड़ती है।"

ज्योति पैकर्स मजदूर : "नहर पार ददसिया रोड़ पर स्थित फैक्ट्री में 12-13 स्त्री व पुरुष काम करते हैं पर 3 को ही ई.एस.आई. कार्ड दिये हैं। दस अगस्त को वेतन देते समय हम से कोरे कागज पर दस्तखत करवाये। हैल्पर को 950 रुपये महीना तनखा देते हैं। साहब बदतमीजी करता है — थप्पड़ मार देता है।"

ब्राइट ब्रादर्स वरकर : "प्लॉट 16-17 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में प्रोविडेन्ट फण्ड में हेरा-फेरी करते हैं — डेढ साल काम कर चुके एक मजदूर को पी.एफ. से 1350 रुपये मिले! हाजरी में भी गड़बड़ी करते हैं और एतराज करने पर नौकरी से निकाल देते हैं।"

सुपर फाइबर मजदूर : "इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित जूट मिल में भर्ती पर 2700 रुपये तनखा बताते हैं लेकिन देते हैं दिहाड़ी के रूप में — कोई रविवार नहीं, कोई 15 अगस्त नहीं। काम करते 8-10 दिन हो जाते हैं तब कार्ड बनाते हैं और कार्ड बनने से पहले नौकरी छोड़ दी तो किये काम के पैसे नहीं देते। दो शिफ्ट हैं: दिन में 8 से साढे छह बजे तक और रात को साढे नो से सुबह 8 बजे तक। साढे दस घण्टे ड्युटी के साढे ब्यासी रुपये देते हैं। तीन घण्टे का समय मशीनों को आराम देने और सफाई के लिये है। बहुत-ही ज्यादा गर्दा उड़ता है। सुपरवाइजर गालियाँ देते हैं, धक्के मारते हैं और लैट्रीन में भी बुलाने पहुँच जाते हैं। हाँ, नौकरी से निकालते नहीं बल्कि लोग खुद छोड़ कर चले जाते हैं — किसी को 3 महीने में टी.बी. नहीं भी हुई तो साँस की बीमारी जरूर हो जाती है।"

इन्जेक्टो लिमिटेड वरकर : "20/5 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में रबड़ और धातु के होज पाइप बनते हैं। मारुति, बजाज, टेल्को, हिन्दुस्तान मोटर्स को सप्लाई के अलावा सुन्दरम (मद्रास) के जरिये अमरीका निर्यात भी किये जाते हैं। सन् 2000 में कम्पनी ने 7 से पहले की बजाय 25 तारीख तक तनखा देनी शुरू की। फैक्ट्री में यूनियन कई वर्ष से है और प्रान्त की शासक पार्टी से सम्बन्धित है। लीडर कहते कि 25 तारीख तक तनखा ले लो, क्या लड़ाई-झगड़े करें। सन् 2001 में भी तनखाओं का लफड़ा चलता रहा। दो-तीन-चार महीनों की तनखायें नहीं दिये जाने के सिलसिले में आज 21 अगस्त को हमारी 5 महीनों की तनखायें बकाया हो गई हैं। मार्च-अप्रैल-मई-जून-जुलाई की तनखायें हमें आज 21 अगस्त तक कम्पनी ने नहीं दी हैं। वेतन नहीं दिये जाने की शिकायत चौथी बार डी.सी. दरबार में हम ने 13 अगस्त को की। डी.सी. ने डी.एल.सी. से कारण पूछा तो वे बोली कि तनखायें दिलवा दूँगी लेकिन 8 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ है।"

स्काईटोन केबल्स मजदूर : "42-43 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित (बाकी पेज दो पर)

गुडईयर टायर

सेक्युरिटी गार्ड : "दिसम्बर 2000 तक सेक्युरिटी ठेकेदार के फैक्ट्री में 46 कर्मचारी थे। नये ठेकेदार ने यहाँ मात्र 21 गार्ड और 5 स्टाफ में रखे हैं। परिणामस्वरूप प्रत्येक की प्रतिदिन कम से कम 12 घण्टे की ड्युटी — 8 घण्टे वाले एक क्लर्क को छोड़ कर। दो शिफ्ट 12-12 घण्टे की हैं और महीने के तीसों दिन ड्युटी रहती है। इसके बदले में कुल 2800-2900 रुपये महीना देते हैं — ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से हैं। तनखा 2200 रुपये महीना बताते हैं पर 200 रुपये कमरे के नाम पर काट लेते हैं — वहाँ कोई रहे चाहे नहीं रहे। यूँ तो किसी की तलाशी लेना ही अपने आप में गन्दा काम है, ऊपर से गार्ड को कइयों की उल्टी-सीधी भी सुननी पड़ती हैं। गुडईयर में गार्डों पर काम का बोझ बहुत ज्यादा बढा दिया गया है। पहले फैक्ट्री के अन्दर साइकिल स्टैण्ड का ठेका था। ठेकेदार के 8 वरकर होते थे लेकिन कम्पनी ने वह ठेका तोड़ दिया है। अब हर साइकिल की तीनों शिफ्टों में गेट पर पर्ची बनाना और पर्ची लेना सेक्युरिटी गार्ड को करना पड़ता है। ड्युटी छूटने पर फैक्ट्री से बाहर निकलते मजदूरों की तलाशी तो ली ही जाती थी परन्तु दो साल से कम्पनी इतनी भयभीत है कि फैक्ट्री के अन्दर जाते समय भी मजदूरों की सेक्युरिटी जाँच शुरू करवा दी है — यह भी गार्डों का काम। स्टाफ की, बाहरी लोगों की, सब गाड़ियों व ड्राइवरों की इन्ट्री गेट पर गार्ड करेंगे। इधर कम्पनी ने हैड आफिस भी दिल्ली से फरीदाबाद फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया है। फैक्ट्री वालों की ड्युटी सवा आठ से है और हैड आफिस वालों की पौने नो बजे से। एक इन्ट्री खत्म होते ही दूसरी शुरू हो जाती है — गार्ड के एक हाथ में गेट और दूसरे में समोसा रहता है, चाय पीने को समय नहीं। बारह घण्टे खड़ा रहना पड़ता है। रात को 7 से सुबह 7 बजे तक तो गुडईयर के मुख्य गेट पर भी मात्र एक गार्ड की ड्युटी रहती है।"

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी,
आटोपिन झुग्गी,
एन.आई.टी
फरीदाबाद—121001

भर्ती प्रक्रिया

आवश्यक कागजी सामग्री : दसवीं और बारहवीं की अंकतालिका; हरियाणा मूल निवासी प्रमाणपत्र; रिहाइशी व जाति प्रमाणपत्र; चरित्र प्रमाणपत्र; पुलिस रिपोर्ट; 9 फोटो। सभी प्रमाणपत्रों की एक-एक सत्यापित प्रति भी जरूरी है।

हरियाणा मूल निवासी प्रमाणपत्र बनवाने हेतु: 3 रुपये का कागज खरीदो; सरपंच की मोहर व हस्ताक्षर; पटवारी का विवरण व दस्तखत; कानूनगो के हस्ताक्षर; दो रुपये की तहसील में कोर्ट फीस; तहसीलदार से हस्ताक्षर करवाना। राशन कार्ड, पहचान-पत्र तथा दसवीं के प्रमाणपत्र की प्रतियाँ कागजों में लगानी पड़ती हैं। इस सब में 15 दिन तो लग ही जाते हैं। और, 6 महीने बाद नये सिरे से मूल निवासी प्रमाणपत्र बनवाना पड़ता है।

आवश्यक कागज तैयार करने में समय के संग 200 रुपये तो खर्च हो ही जाते हैं, डाँट-डपट भी बहुत खानी पड़ती हैं।

भर्ती वाली तारीख को दूर शहर में सुबह 5 बजे गेट पर जा कर खड़ा होना। भीड़ और अन्दर जाने के लिये धक्कामुक्की। अन्दर घुसते ही कद सूचक से गुजरना और हाथ पर मोहर लगवाना — इन में चूक पर 15 प्रतिशत बाहर कर दिये गये।

6 बजे पंक्ति में बैठा दिये। कागज जाँचने में 11 बज गये — धूप में बैठे रहे। फिर से पंक्ति बनवाई और प्रत्येक के हाथ व छाती पर अंक लिखा गया। कपड़े उतरवा कर मैदान में दौड़ने के लिये पंक्तियाँ। धूप में 12 बजे मैदान के चार चक्कर लगाने में 60 प्रतिशत को निकाल दिया गया। कूद व संतुलन के बाद 2 बजे बीम पर ऊपर-नीचे।

पंक्ति में बैठा कर फार्म दिया। दो फोटो भी चिपकाई। छह बजे तक जाँच पूरी हुई। पुनः पंक्ति में बैठा कर एक कागज पर तीन शपथ लिखवाई-दिलवाई। इस सब में दिन ढल गया। दिन-भर न पानी और न भोजन। उनके अनुसार कहीं कोई गड़बड़ हुई तो गालियाँ और पिटाई हुई। भर्ती करने वाले चिढ़े बैठे थे और बात-बात पर हमें जलील किया।

अगले दिन सुबह 7 बजे कद और छाती की नाप के लिये पहुँचने का आदेश हुआ। दस प्रतिशत फिर निकाल दिये गये और इसमें 2 बज गये। फिर अगला दिन स्वास्थ्य जाँच के लिये रखा पर वह पूरी नहीं हुई। चौथे दिन मेडिकल पूरी हुई और बचे हुओं में से 60 प्रतिशत को अयोग्य ठहरा दिया गया। पुनः जाँच के लिये बैंक में 40 रुपये जमा करवाने और एक फार्म भर कर तीन फोटो लगाने पर 20 दिन बाद अम्बाला छावनी में दिन तय किया गया। निर्धारित तिथि को पहुँचने पर कहा गया कि छुट्टी है, अगले दिन आओ। फिर बहुत इन्तजार — मरीजों को देखने के बाद हमारा मेडिकल हुआ और अधिकतर अयोग्य योग्य पाये गये। भर्ती-प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हुआ।

— भुक्तभोगी युवक

महीने में 5000 प्रतियाँ फ्री बँटती हैं। साँझेदार बनिये।

बन्दी वाणी (2) पीड़ा के उपचार

[अमरीका सरकार ने "अपने" बीस लाख लोगों को सजा दे कर और आठ लाख को विचाराधीन कैदी के रूप में बन्दी बना रखा है। यूँ तो सम्पूर्ण संसार ही जेलखाने में ढाल दिया गया है, अधिकाधिक ढाला जा रहा है, फिर भी, सरकारों के कारागारों में बन्द हमारे बन्धुओं पर जकड़ हम से अधिक होती है। अनुवाद की और सन्दर्भों की दिक्कतों के कारण यहाँ हम अपने शब्दों में अमरीका सरकार के कैदखानों में बन्द लोगों की वाणी को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं।]

अनुभवों के झँझावतों से जीवन भरा है। तुलना में अधिकतर तूफान हल्के होते हैं लेकिन कुछ इस कदर थपेड़े मारते हैं कि उन से पार पाना अक्सर अपने बस से बाहर का लगता है। आश्चर्य की बात है कि हम जीवन के अधिकतर झँझावतों को न्यूनतम नुकसान तक सीमित रखने में सफल होते हैं। लेकिन, जब-तब जीवन में कुछ घटनायें हमारी भावनाओं से इतना खिलवाड़ करती हैं कि उनके असर से आंशिक तौर पर उबरने में भी पूरा जीवन लग जाता है।

जिन्दगी में कई मौकों पर एक अथवा दूसरे रूप में उत्पीड़न का अनुभव करीब-करीब हर एक करता-करती है। मैं गरीबी का शिकार था — अपराध और हिंसा के नकारात्मक प्रभावों के दायरे में रहा। बच्चे के तौर पर परिवार में शारिरिक और शाब्दिक हिंसा का शिकार बना। अपने बराबर वालों से इतनी बार मैंने मारपीट झेली है कि याद करने की तोहमत तक नहीं उठाना चाहता — दो अवसरों पर मुझे चाकू से लगभग घातक घाव लगे। प्यार में मेरा दिल टूटा। अनेकों बार पुलिस की बर्बरता झेली और भ्रष्ट न्यायिक व कारागार व्यवस्थाओं का भुक्तभोगी हूँ।

इस तथ्य के दृष्टिगत कि स्वयं मैंने कइयों का उत्पीड़न किया है, मैं उत्पीड़ित किये जाने की शिकायत नहीं कर रहा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं उत्पीड़ित किये जाने से होनें वाले शारिरिक और भावनात्मक दर्द से बखूबी परिचित हूँ। तथा, उत्पीड़न से मन पर पड़ते विपरीत प्रभाव के व्यक्ति के पूरे जीवन पर असर की मैं निजी तौर पर तसदीक कर सकता हूँ। वक्त-वक्त पर मैं अविवरणीय भावनात्मक दर्द से जूझा हूँ। जेल में इन पन्द्रह वर्ष में मेरे द्वारा भोगी गई भावनात्मक पीड़ा कई बार इस कदर तीखी रही है कि चिकित्सकों ने इसे क्लिनिकल अवसाद करार दिया है। ढेरों नकारात्मक जीवन अनुभवों के संचित प्रभाव ने उन विचारों व भावनाओं को जन्म दिया जिन्होंने मेरे मन पर किस्म-किस्म की विनाशलीला रची है।

दीर्घ काल के लिये कारागार में बन्दी होने से मन पर पड़ते विपरीत प्रभावों में से कुछ को सहन करने के लिये लगभग बदहवास प्रयास में मैं जेल में अपने जीवन और कैद किये जाने से पहले के अपने जीवन के बारे में अक्सर गहन मनन करता हूँ। जेलखाने के दमनकारी माहौल के अनुरूप मैं अपने को ढाल क्यों नहीं पाता? कारागार में सत्ता के नंगे नाच और गार्डों-अफसरों का बचकाना व्यवहार अब भी मुझ में इतना गुस्सा और शत्रुता क्यों उत्पन्न करते हैं? अकेलेपन से इतना आघात क्यों लगता है? ठुकरादिये जानेका इतना भय क्यों है? नकारात्मक आलोचना के प्रति इतना संवेदनशील क्यों हूँ? यह मात्र चन्द प्रश्न हैं उन कई सवालों में जिनसे मैं अपने बन्दी जीवन में जूझता रहता हूँ।

जेल से बाहर रहते व्यक्ति के लिये इसका अहसास करना कठिन है कि दीर्घकाल तक कारागार में बन्द व्यक्ति किन गहराइयों तक हताशा में डूब सकता है। आजीवन कैद के मृत्युपाश से स्वतन्त्र होने के लिये मैंने भी कई अन्य बन्दियों की तरह कई वर्ष बिताये हैं कानूनी पुस्तकों और मुकदमों में डूबे रह कर। मजबूत से मजबूत व्यक्ति को तोड़ डालने के लिये यह विफल प्रयास ही पर्याप्त मानसिक और भावनात्मक दबाव उत्पन्न कर देते हैं।

इन वर्षों के दौरान ऐसे समय आये हैं कि मेरे अन्दर का रिसता दर्द इस कदर बर्दाश्त से बाहर हो जाता कि "होना अथवा नहीं होना?" का प्रश्न मेरे विचारों में छा जाता। अन्ततः मैंने पाया है कि मेरी पीड़ा का एक हिस्सा आन्तरिक टकरावों से उपजा है। वास्तविकता हमें उन चीजों से वंचित रखती है जिनकी हम जीवन से डिमाण्ड करते हैं। अपने जीवन को अर्थ देने के लिये जिनको होना ही चाहिये उनका अभाव दर्द को संचित करता जाता है। वास्तविकता जब हमारी पूर्ति नहीं करती तब ऐसे आन्तरिक टकराव उत्पन्न होते हैं कि यह पंगु कर देने वाले भावनात्मक दर्द को उभारते हैं।

मेरा आदर होना चाहिये ! मुझे प्रेम किया जाये! मुझे समझा जाये ! मुझे स्वतन्त्र होना चाहिये !.... मुझे यह समझ में आया है कि मेरा काफी दर्द इस तथ्य को अस्वीकार करने से हुआ है कि मैं इस संसार को निर्देशित अथवा नियंत्रित नहीं कर सकता। पीछे की बातें जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ, सरकारी अधिकारियों से मेरे विवाद के कारण उनका अनादरपूर्ण व्यवहार और मुट्ठी में रखने के प्रयास रहे हैं। युवावस्था में कई भिड़न्तों का कारण अन्य लोग मेरे से कैसे बातचीत करते थे अथवा मेरे साथ कैसा व्यवहार करते थे इसके प्रति मेरी संवेदनशीलता था।

विश्व में कारागार सबसे बुरा स्थान है जहाँ मैं अपने को पाता हूँ। मैं अपने बन्दी होने को मन से स्वीकार नहीं कर सकता। जेलखाने में जीवन का अर्थ और प्रसन्नता नहीं पाई जा सकती। मैं जीवित रहा हूँ, मैंने सीखा है, और ख्वाहिश रखी है इन जेल की दीवारों के बाहर जीवन की।....

—पॉल, अमरीका सरकार के कारागार में बन्दी

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी—546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।